न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सरोज ढाका, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 58 / 11

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सोरल) आत्मज श्री मूलनारायण जी शर्मा आयु 71 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी हाल 4 बी 12 आवसन मण्डल कॉलोनी रंगबाडी कोटा राज।

(वादी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति : श्री दीनानाथ गालव, वादी अभिभाषक
श्री असलम अंसारी, प्रतिवादी अभिभाषक

दिनांक : 21.06.2019

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी को ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में दिनांक 22.11.1974 को खसरा न0 24 की 15 बीघा भूमि बारानी आवंटित हुई थी, जिसका गैर खातेदार कृषक वादी रहा है। तत्पश्चात जमाबंदी ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में सम्वत् 2032 से 2035 तक खसरा न0 24 की 15 बीघा भूमि वादी के नाम नामान्तरण संख्या 56 से गैर खातेदारी में दर्ज रही इस पर वादी काबिज चला आ रहा है। तत्पश्चात उक्त आराजियात के बाबत सेटलमेन्ट आया जिसमें सम्पूर्ण खसरा न0 24 के नये रकबे अन्य आराजियात के साथ खसरा न0 4 हाल सम्बत 2038 से 2057 व खसरा न0 13 का रकबा 32.43 हाल दर्ज किये गये, जिसमें खसरा न0 24 के मिन नम्बर अन्य रकबा के साथ डाले गये। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा बिना वादी के गैर खातेदारी की जानकारी लिए मनमाने तौर पर सेटलमेन्ट के दौरान वादी की आराजी खसरा न0 24 जो उसे आवंटित हुई थी, जिसका गैर खातेदारी वादी था और जिसके नये खसरा न0 4 व 13 डाले गये, जिसमें ख0 न0 4 के कोने के हिस्से पर वादी का कब्जा था उससे गलत रूप से उसके गैरखातेदारी से बिना किसी औचित्य व अधिकार के अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए नाजायज रूप से गैर मुमकिन जंगलात में अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण विधि विरूद्ध एवं अनुचित है। वादी की गैर खातेदारी जिस आवंटन दिनांक 24.11.74 से आई थी, उसे कभी निरस्त नहीं किया गया ना ही इस बाबत् आज तक वादी को कोई सूचना ही मिली है। उस आवंटन के पश्चात नामान्तरण संख्या 56 से उक्त आराजियात वादी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई उसे भी आज तक अपास्त नहीं किया गया है। वादी लगातार आराजियात पर काबिज है, लेकिन बदयांतिपूर्वक उक्त भूमि को गैर मुमकिन जंगलात में अंकित किया गया है, जिसे वह विधिपूर्वक अपने खाते में अंकित कराने के व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस बावत कई बार वादी द्वारा हल्का पटवारी व तहसीलदार साहब से मौखिक निवेदन किये गये

Surendra.Sarkar

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

किन्तु आज तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही इस बाबत् नहीं की गई। इसके उपरान्त वादी द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था किन्तु वादी को यह जानकारी प्राप्त होने पर कि बिना सक्षम न्यायालय से घोषणा की डिक्री प्राप्त हुए उक्त आराजियात वादी के खाते दर्ज नहीं हो सकेंगी, अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय की अनुमति से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी उक्त आराजियात का गैरखातेदार नियमित रूप से चला आ रहा है जिसको काफी अर्सा हो चुका है तथा उक्त आराजियात को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी हो गया है, तथा तदनुसार उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। वाद कारण वादी को खसरा नम्बर 24 ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजियात दिनांक 24.11.74 को आवंटित होने इंतकाल न0 56 से उक्त आराजियात उसके गैरखातेदारी में अंकित होने, सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजियात के मिन नम्बर डालकर खसरा नम्बर 4 व 13 में अंकित करने और उन्हें गैर मुम. जंगलात दर्ज करने उक्त आराजियात पर वादी काबिज होन पर वादी द्वारा उक्त आराजियात के सम्बन्ध में आवेदन पत्र धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में पेश करने किन्तु घोषणा के दावे के लिए उक्त आवेदन माननीय न्यायालय की अनुमति से अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 17.03.2011 को विड्रो करने पर उत्पन्न हुआ। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को आराजियात वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर पुराना 24 जिसके हाल मिन नम्बर 4 व 13 बने जिसके खसरा नम्बर 13 के कोने के हिस्से पर वादी काबिज है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार उक्त आराजियात को गैर मुमकिन जंगलात से हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि वादी को उक्त आराजियात के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रतिवादी ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र की मद न0 1, 5, प्रतिवादी से सम्बन्धित नहीं है। मद 3, 9 अस्वीकार एवं मद 6, 7, 8, 10, 11, 12 कानूनी है। दावा खारिज होने योग्य है क्योंकि वादी द्वारा आंवटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आंवटी द्वारा पालना नहीं करने पर नामा0 56 का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अमल दरामद करने की कार्यवाही न करते हुए वन विभाग के खाते दर्ज कर दी गई है। वर्तमान खसरा नम्बर 4 व 13 वनविभाग के खाते दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न फाइल है। वादी द्वारा वनविभाग को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। दावा प्रस्तुतीकरण के समय दर्ज खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में नहीं है। अतः खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने से दावा पोषणीय नहीं। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 24 हाल रकबा 0.75 हैक्टर रेवेन्यू रिकार्ड में गैर मुमकिन जंगलात दर्ज है, जिसका खाता संख्या 80 है, जिसके नये खसरा नम्बर 13 रकबा 32.43 हैक्टर गैर मुमकिन जंगलात व खसरा नम्बर 4 रकबा 30.54 हैक्टर गैर मुमकिन जंगलात दर्ज है। वादी ने जंगलात की आराजी को जबरन अपने नाम पर बिना कोई विधिक प्रक्रिया आवंटित करवाली हो तो प्रतिवादी नं. 2 उससे पाबन्द नहीं है। वादी किसी तरह की दुरूस्ती का अधिकारी नहीं है। वादी को कोई वाद कारण भी पैदा नहीं होता क्योंकि सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 4 व 13 वाके ग्राम कोलाना गैर मुमकिन जंगलात विधिवत रूप से दर्ज किया गया है जिस पर वन विभाग का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अतः जवाब दावा पेश कर विनय है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त करने की कृपा करें।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Surendra.Sarkar

Scanned by CamScanner

दौराने वाद प्रकरण के दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

1 आया वादी को ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में दिनांक 22.11.74 को खसरा नम्बर 24 की 15 बीघा भूमि आवंटित हुई, जिसका वह गैर खातेदार टीनेन्ट तथा नामान्तरकण नं. 56 से उसके खातेदारी में दर्ज रहा, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है।

2 आया सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 4 व खसरा नम्बर 13 का रकबा 32.43 हैक्टर दर्ज किया गया जो खसरा नम्बर 24 का मिन नं. व अन्य नम्बर के साथ डाले गये।

3 आया वादी को खसरा नम्बर 24 आवंटित हुई उसके नये खसरा नम्बर 4 व 13 डाले गये जिसके खसरा नम्बर 4 के कोने पर वादी काबिज चला आ रहा है, जिसे बिना किसी विधिक अधिकार व औचित्य के गैर मुमकिन जंगलात में अंकित कर दिया जो त्रृटिपूर्ण व विधि विरूद्ध है।

4 आया आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 56 से वादी काबिज है उसे निरस्त नहीं किया है। उसे अपने खाते तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

5 आया भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः खातेदार घोषित किये जाने योग्य नहीं है।

6 सहायता

प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये अपने आवंटन के आधार पर विवादित आराजी के इन्द्राज की दुरूस्ती करते हुये वादी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान का निवेदन किया। वादी की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णय की नजीर RRD 1998 Page 44-46 पेश की गई है। प्रतिवादी क्रम 1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दावा के कथनों को ही बहस के कथन मानते हुये प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रम 2 वन विभाग के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज रेकार्ड है। वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः वाद वादी निरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा जारी राजस्व विभाग की विज्ञप्ति की प्रति तथा वन विभाग के नाम दर्ज विवादित आराजी की जमाबन्दी की फोटोप्रतियां पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। इसके आधार पर दौराने वाद कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है :–

1 *आया वादी को ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में दिनांक 22.11.74 को खसरा नम्बर 24 की 15 बीघा भूमि आवंटित हुई, जिसका वह गैर खातेदार टीनेन्ट तथा नामान्तरकण नं. 56 से उसके खातेदारी में दर्ज रहा, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र (प्रदर्श–7) की प्रति पेश की गई, जिसके अनुसार सुरेन्द्र कुमार सोरल पुत्र मूल नारायण को ग्राम कोलाना के खसरा नम्बर 24 की 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22.11.74 किया गया। नामान्तरकरण पंजिका (प्रदर्श–5) के अनुसार नामान्तरण संख्या 56 दिनांक 17.05.1975 से आराजी खसरा नम्बर 24/322 की 15 बीघा को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई। जिससे संवत 2033–2036 में उक्त आराजी वादी की गैरखातेदारी में दर्ज रही। विवादित आराजी के वादी की खातेदारी में दर्ज होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। इस प्रकार वादी के कथन की पृष्टि होने से यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Surendra.Sarkar

Scanned by CamScanner

आया सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 4 व खसरा नम्बर 13 का रकबा 32.43 हैक्टर दर्ज किया गया जो खसरा नम्बर 24 का मिन नं. व अन्य नम्बर के साथ डाले गये। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस कथन के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये ग्राम कोलाना के मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 के मुताबिक गत खसरा नम्बर 24, 25मी., 32 मी., 33मी. से नया खसरा नम्बर 4 रकबा 49.54 हैक्टर कायम किया गया तथा गत खसरा नम्बर 24मी., 34मी., 35मी. से नया खसरा नम्बर 13 रकबा 32.43 हैक्टर कायम किया गया। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 24 से नये खसरा नम्बर 4 व 13 के बनने की पुष्टि तो रही है किन्तु उनके रकबे की पुष्टि नहीं हो पाने से यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3 *आया वादी को खसरा नम्बर 24 आवंटित हुई उसके नये खसरा नम्बर 4 व 13 डाले गये जिसके खसरा नम्बर 4 के कोने पर वादी काबिज चला आ रहा है, जिसे बिना किसी विधिक अधिकार व औचित्य के गैर मुमकिन जेरेबात में अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। प्रकरण की तनकी नम्बर 1 के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 24 के आवंटन होने तथा तनकी नम्बर 2 से उसके नये खसरा नम्बर 4 व 13 कायम किये जाने की पुष्टि हो चुकी है। खसरा नम्बर 4 के कोने पर वादी का कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश नहीं किये गये है और ना ही कब्जे सम्बन्धी कोई रिपोर्ट आदि पेश की गई है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा भी अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि वादी द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रतिवादी क्रम 2 वन विभाग द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा जारी राजस्व विभाग की विज्ञप्ति की प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 4 व 13 को वन विभाग के खाते दर्ज किया गया है। उक्त विज्ञप्ति राजस्थान वन अधिनियम 1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 20 की उपधारा 3 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 01.03.1976 के अनुसरण में जारी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी को विधिक प्रक्रियानुसार ही वन विभाग के खाते दर्ज किया गया है तथा उक्त आराजी को वन विभाग के खाते दर्ज किया जाना न तो त्रुटिपूर्ण है और न ही विधि विरूद्ध है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4 *आया आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 56 से वादी काबिज है उसे निरस्त नहीं किया है। उसे अपने खाते तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने का अधिकारी है।* इस तनकी को सिद्ध करीने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पेश की गई नामान्तरकरण संख्या 56 की नामान्तरकरण पंजिका एवं जमाबन्दी संवत 2033–2036 के अनुसार विवादित गत खसरा नम्बर वादी की गैर खातेदारी में दर्ज होने की पुष्टि हो रही है किन्तु वादी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि नहीं हो रही है। प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अनुसार भी वादी का कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज रेकार्ड है। गजट नोटिफिशन 1976 के अनुसार वन विभाग के खाते दर्ज आराजी को अन्य दर्ज किया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

5 *आया भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः खातेदार घोषित किये जाने योग्य नहीं है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। (नियम 15 राजस्थान भू–राजस्व 'कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन' नियम 1970) के अन्तर्गत अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा (प्रपत्र 5) के अन्तर्गत आवंटन की शर्तो के बिन्दु 5(क) के अनुसार आवंटित भूमि बिना कोई सम्पूर्ति दिये ही राजस्थान सरकार द्वारा पुनगृहित की जा यकती है, यदि आवंटिती ने आवंटन को ठीक अनुपालन में निर्धारित समय में कृषिमय न की हो और उसका उचित उपयोग नहीं किया हो।" वादी ने अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस

Surendra Sarkar

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकार वादी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

6 *सहायता ?* प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा विवादित आराजी आवंटन के आधार पर आराजी को अपने खाते दर्ज कराये जाने की सहायता चाही गई है तथा विवादित आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज होने के कारण प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा वाद खारिज किये जाने की सहायता चाही गई है।

उपरोक्तानुसार तनकीयात के विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्तमान में विवादित आराजी को राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 29(1) के तहत रक्षित वन क्षैत्र घोषित किया है जो कि वादी को भूमि आवंटन दिनांक 22.11.1974 के पश्चात दिनांक 01.03.1976 को किया गया है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 में Power to reserve forest सम्बन्धी प्रावधान है। दौराने सेटलमेन्ट सभी प्रकार के परिवर्तनों का अमल दरामद रिकार्ड अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है तथा दिनांक 01.03.1976 के आदेशानुसार ही आराजी को वन विभाग के खाते दर्ज किया गया है। अतः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। वर्तमान में विवादित आराजी वन विभाग के खाते दर्ज रेकार्ड है तथा वन विभाग के खाते दर्ज आराजी को अन्यत्र दर्ज किया जाना प्रतिबन्धित है। विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः वाद वादी क्लीन हैण्ड नहीं आने तथा वाद सिद्ध नही कर पाने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर (मु.) एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, R.A.S.

उनवान :–

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सोरल) आत्मज श्री मूलनारायण जी शर्मा आयु 71 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी हाल 4 बी 12 आवसन मण्डल कॉलोनी रंगबाडी कोटा राज।

(वादी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा

(प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 58 / 11
निर्णय दिनांक : 21-06-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री असलम अंसारी की उपस्थिति में आज तारीख 21–06–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सरोज ढाका, आर.ए.एस. के अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने, विवादित आराजी वन विभाग के खाते दज होने, वाद वादी क्लीन हैण्ड नहीं आने तथा वाद सिद्ध नही कर पाने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 21.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner